श्रीमती जे. यशोदा

विरूद्घ

श्रीमती के. शोभा रानी

अप्रैल 19, 2007

[डॉ. अरिजीत पासायत और लोकेश्वर सिंह पान्टा, जे. जे.]

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 धारा 63 और 65 (ए):

द्वितीयक साक्ष्य-प्रलेखों की छाया प्रति-साक्ष्य में स्वीकार्यता-आवश्यकता-निर्णीतः

द्वितीयक साक्ष्य केवल प्राथमिक साक्ष्य के अभाव में ही स्वीकार्य है, जब इसकी अनुपस्थिति का उचित स्पष्टीकरण दिया जाता है-पक्षकार को मूल दस्तावेज के अस्तित्व और निष्पादन को प्रमाणित करना आवश्यक है-इस प्रकार, प्रलेखों की छाया प्रति को धारा 65 के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों के अधीन द्वितीयक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है-जब तक शर्तें पूर्ण नहीं होती हैं, विचाराधीन प्रलेखों को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

इस अपील में अवधारणीय प्रश्न था कि प्रलेखों की छाया प्रतियों को धारा 65 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अपेक्षाओं की पालना के अभाव में

भी द्वितीयक साक्ष्य के शीर्षक के अन्तर्गत साक्ष्य में ग्राहय किया जा सकता है।

अपीलार्थी ने तर्क प्रस्तुत किया कि छाया प्रतियों को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राहय किए जाने की स्थिति में उच्च न्यायालय धारा 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अपेक्षाओं को गौण नहीं कर सकता और धारा 65ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम के आदेशात्मक प्रावधानों की अनदेखी की गई है।

अपील अपास्त करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1.1 सामान्य नियमानुसार प्राथमिक साक्ष्य के अभाव में द्वितीयक साक्ष्य ग्राहय है। यदि मूल प्रलेख पक्षकार के दोष के कारण साक्ष्य में ग्राहय नहीं है, तो जो पक्षकार ऐसे प्रलेखों को वैध होना प्रमाणित करता है, उस पक्षकार को ऐसे प्रलेख के तथ्यों को द्वितीयक साक्ष्य में प्रमाणित करवाने का अधिकार नहीं होता है।

1.2 विशिष्ट रूप से विधि द्वारा प्रमाणित किए जाने वाले प्राथमिक साक्ष्य के सम्बन्ध में उचित कारण व्यक्त किए जाने पर ऐसी प्राथमिक साक्ष्य के सम्बन्ध में द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत की जा सकती है। धारा 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की परिभाषा स्वयं में पूर्ण है, जिसके अनुसार द्वितीयक साक्ष्य का तात्पर्य ''Means and includes'' है तथा पाँच प्रकार के द्वितीयक साक्ष्य का वर्णन किया गया है।

1.3 द्वितीयक साक्ष्य के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले पक्षकार का यह दायित्व है कि उसके द्वारा प्रलेख का अस्तित्व व निष्पादन प्रमाणित किया जावे। धारा 64 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रलेख प्राथमिक साक्ष्य के रूप में प्रमाणित होने आवश्यक हैं। धारा 65 भारतीय साक्ष्य अधिनियम वर्णित आधारों पर प्रलेख का अस्तित्व, स्थिति व तथ्यों को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रमाणित करने की व्यवस्था विहित करती है। उक्त धारा में वर्णित अपेक्षाओं की पूर्ति द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राह्यता से पूर्व होनी आवश्यक है।

अशोक दुलीचंद बनाम माधवलाल दुबे एवं अन्य [1975] 4 एस.सी.सी. 664 का अनुसरण किया गया।

2. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 में निर्धारित शर्तें पूर्ण होने की स्थिति में प्रलेखों को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इस लम्बित प्रकरण में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 ए की अपेक्षा पूर्ण नहीं हुई। इसलिए, उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 2060/2007

आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा सिविल पुनरीक्षण याचिका सं. 5946/2003 में दिनांक 18-02-2005 को निर्णयादेश के सम्बन्ध में।

बीना माधवन- अपीलार्थी की ओर से

एम.एन.राव, प्रकाश राव एवं प्रोमिला- प्रत्यर्थी की ओर से

न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया-

डॉ. अरीजित पसायत, J.

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधिपति द्वारा सिविल रीविजन को स्वीकार करने के निर्णय को इस अपील में प्रश्नगत किया गया है। विद्वान् प्रथम अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश, सिटी सिविल कोर्ट, सिकन्दराबाद द्वारा औ.एस.नं. 30/1999 में प्रलेख प्रदर्श बी-1 से बी-8 को प्रदर्श अंकित करते हुए प्रलेखों को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य करने के आदेश दिनांक 03-11-2003 को उक्त रिवीजन पिटीशन में प्रश्नगत किया गया था। सिविल रीविजन में यह प्रश्नगत किया गया था कि उक्त प्रलेख छाया प्रतियों के रूप में होने के कारण इन्हें प्रदर्शित व द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं किया जा सकता।

3. विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि जिन प्रलेखों को ग्रहण किया गया और द्वितीयक साक्ष्य के रूप में चिह्नित किया जाना था, वे छाया प्रतियाँ थी। यह वर्णित किया गया कि यह एक तथ्य हो सकता है कि मूल प्रलेख पक्षकारों के पास उपलब्ध नहीं हैं परन्तु साथ ही धारा 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अन्तर्गत आवश्यकता है कि एक प्रलेख, द्वितीयक साक्ष्य के शीर्षक के अन्तर्गत साक्ष्य के रूप में

केवल तभी ग्राहय किया जाता है, जब मूल से बनाई गई या उससे तुलना की गई प्रतियाँ, प्रमाणित प्रतियाँ हो या ऐसे अन्य प्रलेख, जो उपरोक्त खण्ड में वर्णित किए गए हैं। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि छाया प्रतियाँ उक्त अधिनियम की धारा 63 के संदर्भ में द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राहय नहीं की जा सकती हैं और उन्हें द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राहय नहीं किया जाना चाहिए था। चूँकि विचाराधीन प्रलेख स्वीकार्य रूप से फोटो प्रतियाँ थीं, प्रलेखों की मूल प्रलेखों से तुलना किए जाने की कोई सम्भावना नहीं थी। तदनुसार सिविल रीविजन स्वीकार की गई थी।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक कठोर दृष्टिकोण लिया गया। उच्च न्यायालय, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 के अन्तर्गत वर्णित की गई अनिवार्य आवश्यकताओं को विशेष रूप से गौण नहीं कर सकता था-जबकि उक्त धारा यह प्रदान करती है कि, जब साक्ष्य से बनाई गई प्रतियों को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह भी वर्णित किया गया कि उक्त अधिनियम की धारा 65 (ए) में अनिवार्य घटकों को गौण कर दिया गया है।

5. दूसरी ओर प्रत्यर्थी की और से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि इस मामले में धारा 65 (ए) की आवश्यकताओं को पूर्ण किया गया है और उच्च

न्यायालय ने सही निर्णय दिया है कि प्रलेखों को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता था।

6. परस्पर प्रस्तुतियों पर विचार करने के लिए धारा 63 और 65 (ए) पर ध्यान देना आवश्यक है।

धारा 63 और 65 (ए) इस प्रकार है:

''63 द्वितीयक साक्ष्य- द्वितीय साक्ष्य से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत आते हैं-

(1) एतस्मिनप्रश्चात् अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन दी हुई प्रमाणित प्रतियां

(2) मूल से ऐसी यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा, जो प्रक्रियायें स्वयं ही प्रति की शुद्घता सुनिश्चित करती है, बनाई गई प्रतियाँ तथा ऐसी प्रतियों से तुलना की हुई प्रतिलिपियाँ,

(3) मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतियाँ

(4) उन पक्षकारों के विरूद्घ, जिन्होंने उन्हें निष्पादित नहीं किया है, दस्तावेजों के प्रतिलेख

(5) किसी दस्तावेज की अन्तर्वस्तु का उस व्यक्ति द्वारा, जिसने स्वयं उसने देखा है, दिया हुआ मौखिक वृतान्त

65. अवस्थाएं, जिनमें दस्तावेजों के सम्बन्ध में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा- किसी दस्तावेज के अस्तित्व, दशा या अन्तर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य निम्नलिखित अवस्थाओं में दिया जा सकेगा-

(क) जबकि यह दर्शित कर दिया जाए या प्रतीत होता हो कि मूल ऐसे व्यक्ति के कब्जे में या शक्तयधीन है,-

जिसके विरूद्घ उस दस्तावेज का साबित किया जाना ईप्सित है, अथवा जो न्यायालय की आदेशिका के पहुंच के बाहर है, या ऐसी आदेशिका के अध्यधीन नहीं है, अथवा जो उसे पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्घ है, और जबकि ऐसा व्यक्ति धारा 66 में वर्णित सूचना के प्रश्चात् उसे पेश नहीं करता है।"

7. द्वितीयक साक्ष्य, एक सामान्य नियम के रूप में केवल प्राथमिक साक्ष्य के अभाव में स्वीकार्य है। यदि मूल स्वयं पक्षकार की विफलता के कारण अस्वीकार्य पाया जाता है, जो इसे वैध प्रमाणित करने के लिए प्रस्तुत करता है, तो वही पक्षकार प्रलेख के तथ्यों को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं रहता है।

8. अनिवार्य रूप से, द्वितीयक साक्ष्य एक ऐसा साक्ष्य है, जिसे उस बेहतर साक्ष्य के अभाव में प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसे विधि द्वारा पहले प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो, जिसकी अनुपस्थिति का उचित

स्पष्टीकरण दिया जाता है। धारा 63 में दी गई परिभाषा सम्पूर्ण है, क्योंकि धारा घोषणा करती है कि द्वितीयक साक्ष्य का "अर्थ और समावेश" है और फिर पाँच प्रकार के द्वितीयक साक्ष्य का अनुसरण करता है।

9. प्रकरण की प्रकृति के अनुरूप उत्तम साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना सार्वभौमिक नियम है। नियम का आशय है कि आपके पास यदि श्रेष्ठ या उच्चतर साक्ष्य है, तो निम्न प्रकृति की साक्ष्य आप प्रस्तुत नहीं करेंगे। धारा 65 साक्ष्य में प्रस्तुत किए गए प्रलेखों के तथ्यों के प्रमाण से संबंधित है। एक पक्षकार को द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु सक्षम बनाने के लिए पक्षकार द्वारा मूल प्रलेख के अस्तित्व और निष्पादन को प्रमाणित करना आवश्यक है। धारा 64 के अन्तर्गत, प्रलेख प्राथमिक साक्ष्य द्वारा प्रस्तुत किए जाने चाहिए। हालांकि, धारा 65, उल्लिखित परिस्थितियों में प्रलेखों के अस्तित्व, स्थिति या सामग्री के बारे में द्वितीयक साक्ष्य देने की अनुमति देती है। द्वितीयक साक्ष्य स्वीकार किए जाने से पहले उक्त धारा में निर्धारित शर्तों को पूर्ण किया जाना चाहिए। एक प्रलेख के तथ्यों को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि मूल प्रलेख को इस तरह से प्रस्तुत नहीं किए बिना स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि इसे धारा में दिए गए मामलों में से एक या दूसरे के भीतर लाया जाए। अशोक दुलीचन्द बनाम मदाहवलाल दुबे एवं अन्य [1975] 4

एस.सी.सी. 664 में दूसरे विषयों के साथ यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः

> "पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हमारी राय है कि इस संबंध में उच्च न्यायालय के आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के खंड (ए) के अनुसार, द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है किसी दस्तावेज़ का अस्तित्व, स्थिति या सामग्री जब मूल दिखाया जाता है या उस व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में प्रतीत होता है जिसके खिलाफ दस्तावेज़ को साबित करने की मांग की जाती है या किसी ऐसे व्यक्ति की पहुंच से बाहर है, या प्रक्रिया के अधीन नहीं है किसी भी व्यक्ति का न्यायालय इसे प्रस्तुत करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है, और जब धारा 66 में उल्लिखित नोटिस के बाद ऐसा व्यक्ति इसे प्रस्तुत नहीं करता है। धारा 65 के खंड (बी) से (जी) कुछ अन्य आकस्मिकताओं को निर्दिष्ट करते हैं जिसमें एक से संबंधित द्वितीयक साक्ष्य होते हैं दस्तावेज़ दिया जा सकता है, लेकिन हम उन खंडों से चिंतित नहीं हैं क्योंकि यह पार्टियों का सामान्य मामला है कि वर्तमान मामला उन खंडों के अंतर्गत नहीं आता है। उसके मामले को धारा 65 के खंड (ए) के दायरे में लाने के लिए, अपीलकर्ता ने 4 जुलाई 1973 को

प्रतिवादी नंबर 1 से गवाह के रूप में पूछताछ करने से पहले आवेदन दायर किया, जिसमें प्रार्थना की गई कि उक्त प्रतिवादी को मूल पांडुलिपि प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाए, अपीलकर्ता के अनुसार, उसने फोटोस्टेट प्रति दाखिल की थी। अपीलार्थी द्वारा यह प्रार्थना भी की गई कि यदि प्रतिवादी सं. 1 ने इस बात से इनकार किया कि उक्त पांडुलिपि उसके द्वारा लिखी गई थी, फोटोस्टेट कॉपी की जांच किसी हस्तलेखन विशेषज्ञ से कराई जा सकती है। अपीलकर्ता ने अपने आवेदनों के समर्थन में शपथ पत्र भी दाखिल किया। हालाँकि, हलफनामे में यह कहीं नहीं कहा गया कि मूल दस्तावेज़ जिसकी फोटोस्टेट प्रतिलिपि अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई थी, प्रतिवादी नंबर 1 के कब्जे में थी। मूल दस्तावेज़ को इंगित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई अन्य सामग्री भी नहीं थी। प्रतिवादी क्रमांक 1 का कब्ज़ा. अपीलकर्ता यह बताने में भी विफल रहा कि वे कौन सी परिस्थितियाँ थीं जिनके तहत फोटोस्टेट प्रतिलिपि तैयार की गई थी और जब इसकी तस्वीर ली गई थी तब मूल दस्तावेज़ किसके पास था। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हलफनामे में कब्जे में होने से इनकार किया और उच्च न्यायालय को संदेह से परे प्रतीत हुआ। सभी परिस्थितियों को देखते हुए, उच्च न्यायालय संदेह से परे नहीं है। सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय इस

निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलकर्ता द्वारा फोटोस्टेट कॉपी के आकार में द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कोई आधार नहीं रखा गया था। हमें उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश में ऐसी कोई खामी नहीं दिखती जो इस न्यायालय के हस्तक्षेप को उचित ठहरा सके।"

10. वर्तमान मामले में स्वीकार किए गए तथ्य यह है कि मूल पी. श्रीनिबास राव के पास थे। प्रलेखों को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में केवल तभी स्वीकार किया जा सकता है, जब धारा 65 में दी गई परिस्थितियाँ संतुष्ट हो। वर्तमान मामले में धारा 65 के खण्ड (क) को संतुष्ट नहीं किया गया है। इसलिए, उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए कोई दुर्बलता नहीं है।

11. अपील विफल हो जाती है और खारिज की जाती है लेकिन परिस्थितियों के दृष्टिगत बिना व्यय के।

एसकेएस.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी विनोद कुमार सोनी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।